455

संख्या– 2023/XVIII-(2)/14-01(07)/2010

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC),
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 22 अगस्त, 2016

विषयः– **आपदा प्रबन्धन के अंतर्गत क्षमता विकास कार्यो हेतु द्वितीय किस्त के रूप में धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–45/DMMC/XIV-18(2012), दिनांक 12.04.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डी.एम.एम.सी. को क्षमता विकास से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से ₹ 4.00 करोड़ की धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–20 की अवधि हेतु निर्धारित राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (NDRF) की नवीन गाइड लाईन्स में एस.डी.आर.एफ. मद में वार्षिक आवंटन के 5% धनराशि को क्षमता विकास कार्यो हेतु उपयोग किये जाने के प्राविधान के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 के वार्षिक बजट में उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 100.00 लाख (₹ एक करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरित कर व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2– स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित बिलों में अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन से प्रति हस्ताक्षरित कराकर कोषागार से आहरण किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि का लेखा–जोखा डी.एम.एम.सी. द्वारा ही रखा जायेगा।

4– धनराशि का स्वीकृत मदों से भिन्न मदों में अथवा गलत उपयोग होने पर अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी., सम्बन्धित विभाग/एजेन्सी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

5– व्यय करते समय प्रोक्योरमेंट रूल्स, बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानें एवं मितव्ययता विषयक शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय की यथासमय सम्परीक्षा किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6– धनराशि स्वीकृत किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। साथ ही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व कार्य के औचित्य एवं आवश्यकता पर सम्यक विचार कर लिया जायेगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि को दिनांक 31.03.2017 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

8– उक्त पर होने वाला कुल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05–राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–00–13–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त अनुभाग–5 के अ.शा.संख्या–96NP/XXVII(5)/2016–17, दिनांक 16 अगस्त,2016 में दी गई सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–2023(1)/XVIII-(2)/15-01(07)/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– कोषाधिकारी, देहरादून।
6– निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7– निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– वित्त अनुभाग–5
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
उप सचिव